रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 474] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 1977/कार्तिक 16, 1899

No. 474] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 1977/KARTIKA 16, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Irrigation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November 1977

S.O. 754(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Narmada Water Disputes Tribunal, constituted by the notification of the Government of India in the late Ministry of Irrigation and Power No S O. 4054, dated the 6th October, 1969, consequent on the resignation of Shri Justice V P Gopalan Nambiar,

And whereas the Chief Justice of India has nominated Shri Justice M. R. A. Ansari, Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir, to fill the said vacancy under section 5-A of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4, read with section 5-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the said notification, namely —

In the said notification, for item (11), the following item shall be substituted, namely.—

"(11) Shri Justice M R A Ansari, Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir — Member"

By Order and in the name of the President of India.

[No 5/21/76-WD]

C. C PATEL, Secy.

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

(सिंचाई विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1977

का० आ० 754 (अ)—भारत सरकार के भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 4054, तारीख 6 अक्तूबर, 1969 द्वारा गठित नर्मदा जल विवाद अधिकरण मे एक रिक्ति , न्यायमूर्ति श्री वी० पी० गोपालन नम्बियार के पद त्याग करने के परिणामस्वरूप हुई है ;

और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5-क के अधीन उक्त रिक्ति को भरने के लिए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री एम० आर० ए० अन्सारी को नाम निर्देशित किया है ;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5-क के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना मे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात्:—

'(2) श्री जस्टिस एम० आर० ए० अन्सारी, उच्च न्यायालय,
जम्मू व कश्मीर के मुख्य न्यायमूर्ति, —सदस्य'

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम से ।

[सं० 5/21/76-डब्ल्यू० डी०]

सी० सी० पटेल, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977